न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 14/2021

निर्णय दिनांक: 5.4.2021

मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

——प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

——अप्रार्थी

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

यह प्रार्थना पत्र मुकेश ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 1193/831 तादादी 3.0500 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई व माता के नाम सयूक्त खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 2/7 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 12.01.2021 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1193/831 तादादी 3.0500 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से राकेशकुमार पुत्र रामेश्वरलाल अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम राकेशकुमार अंकित कर दिया है। प्रार्थी साक्षर व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक—पासबूक, सरपंच कार्यालय ग्राम पचायत धीरेदसर चौटियान में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी धीरदेसर चौटियान अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान—पहचान, मित्रगण सभी मुकेश के नाम से जाना—पहचाना जाता है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का 2/7 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम राकेशकुमार अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 12.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा ... मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वशावली हल्का पटवारी को ... बताने के बावजूद गलत रूप से राकेश कुमार अंकित कर दिया जिसे ... सही नाम मुकेश अंकित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत भुमि ग्राम धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 1193/831 तादादी 3.0500 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम राकेशकुमार अंकित हुआ है उसकी जगह मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1193/831 तादादी 3.0500 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम राकेश कुमार दर्ज है उसकी जगह शुद्ध नाम मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 5.4.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:11:14 IST
Reason: SelfAttested